रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 475] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 1972/कार्तिक 11, 1894
No. 475] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 1972/KARTIKA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT 28/11

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 18th October, 1972

S.O. 691 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	I.N.R. No. 1251	216·10 Metres	Films Division, Government of India, 24, Peddar Road, Bombay-26	Film dealing with news and current events.	
2	I.N.R. No. 1252	219·45 Metres	Do.	Do.	

[No. F. 28/1/72-F (P) App. 1725]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 18 अक्तूबर, 1972

एस०ओ० 691(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों, के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1251	216.10 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई–26	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म ।	
2.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1252	219.45 मीटर	—तथैव—	—तथैव—	

[संख्या फा० 28/1/72–एफ० (पी) परिशिष्ट 1725]

S.O.692 (E) In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay, hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific filmor a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	I.N.R. No. 1252 (Northern Edition).	293·52 Metres.	Film Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news & current events (For release in Northern States *viz.* Haryana, J&K, Madhya Pradesh Punjab, Rajasthan, U.P., Andaman & Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Admn. Delhi Administration, Hichachal and Pondicherry).

[No. F. 28/1/72-FP App. 1726]

एस० ओ० 692(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1252 (उत्तरी संस्करण)	293.52 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई–26।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल उत्तरी प्रदेशों) हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, मध्य

1	2	3	4	5	6

प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडेमान और निकोबार द्वीप, दादर और नागर हवेली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, पांडीचेरी और हिमाचल प्रदेश

[संख्या फा० 28/1/72–एफ० पी० परिशिष्ट 1726]

S.O. 693 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the first Schedule anexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its their it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Sectiom 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Maharashtra News No. 244.	291·00 Metres.	Director of Publicity, Government of Maharashtra, Bombay.		Film dealing with news and current events (For relcases in Maharashtra Circuit only).

[No. F. 28/1/72-FP App. 1727]

एस० ओ० 693(अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 (1953 का 11वां) बम्बई अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र समाचार संख्या 244	291.00 मीटर	प्रचार निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र सर्किट के लिए)

[संख्या फा० 28/1/72-एफ०पी०-परिशिष्ट 1727]

S.O. 694 (E) In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the first Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and curren events or a docut mentary film
1	2	3	4	5	6
1	I.N.R. No. 1251 (Western Edition, 299·31 Metres		Films Division Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26		Film dealing with news and current events, (for release in Western States, i.e. Gujarat, Maharashtra, & Goa, Daman & Diu.)

[No. F. 28/1/72- FP App. 1728]

HARJEET SINGH, *Under Secy.*

एस०ओ० 694(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ हैं, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्टरी फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा सख्या 1251 (पश्चिमी संस्करण)	299.31 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा, दमन और दीव में प्रदर्शित करने के लिए)।

(संख्या फा० 28/1/72-एफ(पी)-परिशिष्ट 1728)

हरजीत सिंह, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972